

अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी।

पत्रांक :- ४९४ अनु०/मधुबनी। दिनांक :- 13/08/2025

प्रेषक,

ई० विनोद कुमार राय,
अधीक्षण अभियन्ता।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, झंझारपुर।

विषय:-

MMGSY (SC) अंतर्गत Construction of road & CD PWD road to Khairi Nonia Musahari road (Agg. No.-30 SBD/2020-21 में GST की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु Shiva Construction के द्वारा विभाग में समर्पित दावा की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, पटना का पत्रांक-BRRDA (HQ) GST-01-572/2024 - 3077 अनु० पटना, दिनांक-06.08.2025 एवं आपका पत्रांक-1903 अनु०, दिनांक-24.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि आपके प्रमंडल अंतर्गत MMGSY (Sc) योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-30 SBD/2020-21 के तहत Construction of road & CD PWD road to Khairi Nonia Musahari road में GST की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु संवेदक, Shiva Construction के द्वारा विभाग में समर्पित दावा की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित GST समिति द्वारा दिनांक-28.07.2025 को GST Claim के निष्पादन हेतु आहुत बैठक की कार्यवाही में GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co. Patna के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर समीक्षोपरांत मो० 03,05,491/- (तीन लाख पाँच हजार चार सौ एकानवे) रू० मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा की छायाप्रति संलग्न करते हुए मो० 03,05,491/- (तीन लाख पाँच हजार चार सौ एकानवे) रू० मात्र के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. किसी भी परिस्थिति में व्यय को प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्षेत्र सीमा के अन्तर्गत रखा जाए।
2. यदि भविष्य में दावा नियमानुकूल नहीं पाया गया, तो उक्त सम्पूर्ण राशि एक मुस्त संवेदक के अगले विपत्र/अग्रधन की राशि से समायोजित कर ली जाय।
3. विभागीय प्रासंगिक पत्र में वर्णित सभी कंडिकाओं का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अधीक्षण अभियन्ता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी।